



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072021-228300
CG-DL-E-14072021-228300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2620]
No. 2620]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2021/आषाढ़ 23, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2021/ASHADHA 23, 1943

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

का.आ. 2825(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11 जून, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग संख्या का.आ. 1495(अ) की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्,

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, पैरा 1 में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु लागू सामान नियमों के अधीन यथा अनुमत्य पालतू कुत्ते या पालतू बिल्ली को 30 सितंबर, 2021 तक कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कोचीन के माध्यम से आयात की अनुज्ञा दी जाएगी।”

[फा. सं. 109-01/2012-व्यापार (ई-17748)]

गिरजा नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 11 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1495(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् तारीख 06 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4025 (अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th July, 2021

S.O. 2825(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1495 (E), dated the 11th June, 2014, namely:-

In the Schedule to the said notification, in paragraph 1, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that a pet dog or pet cat as permitted under the applicable baggage rules shall be allowed to be imported through Cochin International Airport, Cochin till 30th September, 2021.”.

[F. No. 109-01/2012-Trade (E-17748)]

GIRJA NAND SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1495(E), dated 11th June, 2014 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4025(E), dated the 6th November, 2020.